संख्या- 16/2024/आई/680658/2024/फा.नं.10-22099/373/2021

प्रेषक,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक,
कोषागार निदेशालय, उ.प्र.,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, **2024**

विषय:- पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण।

महोदय,

निदेशक, कोषागार के पत्र संख्या-2024-02/186/4 (विविध) /पेंशन/2022-23/को. नि./प्रावि. दिनांक 20.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय वेतन आयोगों के गठन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समितियों की संस्तुतियों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व सेवानिवृत्ति या मृत्यु की दशा में स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागार द्वारा शासनादेश द्वारा निर्धारित गुणांक के आधार पर कर दिया जाता है, परन्तु वेतन समितियों की संस्तुति प्रभावी होने की तिथि तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि के मध्य स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र निर्गत होने पर होता है।

वर्तमान में ऐसे पेंशनरों की संख्या काफी अधिक है जो उपरोक्त श्रेणी में आते हैं तथा जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय/विभाग द्वारा नहीं करायी गयी है तथा उन्हें पूर्ववर्ती वेतन समितियों के अनुसार ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है। कतिपय प्रकरणों में ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.91.2016 से लागू उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रू. 9000/- से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति की गयी है।

2- विभिन्न वेतन समितियों की संस्तुतियों के अन्तर्गत, मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि निम्नवत् निर्धारित की गयी है:-

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र.	दिनांक जब से लागू	मूल पेंशन की न्यूनतम राशि	पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि	शासनादेश का संदर्भ
1.	01.04.1990 से	रू. 375 प्रतिमाह	रू. 375 प्रतिमाह	सा-3-1612/दस-918-87 दिनांक 27.06.1990
2.	01.01.1996 से	रू. 1275 प्रतिमाह	रू. 1275 प्रतिमाह	सा-3-1720/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997 एवं सा-3-1721/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997
3.	01.01.2006 से	रू. 3500 प्रतिमाह	रू. 3500 प्रतिमाह	सा-3-1508/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008 एवं सा-3-1515/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008
4.	01.01.2016 से	रू. 9000 प्रतिमाह	रू. 9000 प्रतिमाह	38/2016-सा-3-921/दस-2016/ 308-2016 दिनांक 23.12.2016 एवं 39/2016-सा-3-923/दस-2016/ 308-2016 दिनांक 23.12.2016

3- अत:, प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिन्हें विभिन्न तिथियों पर अनुमन्य न्यूनतम धनराशि से कम धनराशि का भुगतान मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा था/है, को उपरोक्त तालिका में इंगित न्यूनतम धनराशि का भुगतान, पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि अथवा तालिका में इंगित तिथि, दोनों में से जो बाद में हो, से किया जाय तथा तद्नुसार एरियर का भी भुगतान किया जाय।

4- दिनांक 01.01.2016 एवं दिनांक 23.12.2016 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत ऐस सरकारी कार्मिक जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षित भुगतानादेश निर्गत नहीं हुये हैं, की सूचना कोषागारों द्वारा संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर एवं पेंशन भुगतानादेश निर्गतकर्ता प्राधिकारी को पुनरीक्षित पेंशन भुगतानादेश निर्गत करने के परामर्श के साथ प्रेषित की जाय। ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर एवं पेंशन भुगतानादेश निर्गतकर्ता प्राधिकारी संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अग्रतर कार्यवाही हेतु पत्र भेजेंगे। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308-2016 दिनांक 23.12.2016 के अनुसार कार्यवाही करते हुए पुनरीक्षित पेंशन भुगतानादेश निर्गत किये जाने हेतु कार्यवाही करेंगे।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, सेक्टर-24/3 (वित्तीय प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर), इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।